भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *314
गुरूवार, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (शक)

बेरोजगार व्यक्तियों के लिए योजनाएं

***314. श्री सैयद नासिर हुसैनः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने भारतीय निर्धनता की परिधि में आ गए;

(ख) देश में विशेषकर कर्नाटक में बेरोजगारी की कुल दर कितनी है;

(ग) बेरोजगारी के कारण कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या की, तत्संबंधी राज्य-वार आंकड़ा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय बेरोजगार न रहें, मौजूदा कार्यनीतियां और नीतियां कौन-कौन सी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

“बेरोजगार व्यक्तियों के लिए योजनाएं” के संबंध में श्री सैयद नासिर हुसैन द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 31-03-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *314 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): निर्धनता रेखा एवं निर्धनता अनुपात सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले गृहस्थ उपभोक्ता व्यय पर बड़े नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर अनुमानित किए जाते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अखिल-भारतीय त्रैमासिक प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस), अखिल भारतीय घरेलू कामगार सर्वेक्षण एवं अखिल भारतीय प्रवासी कामगार सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है जिसका उद्देश्य देश में क्रमशः रोजगार, घरेलू कामगारों की संख्या/अनुपात एवं घरेलू/आंतरिक प्रवासी कामगारों का अनुमान लगाना है।

(ख): रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से इकट्ठे किए जा रहे हैं। वर्ष 2019-20 की नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 4.8% एवं कर्नाटक में 4.2% थी।

(ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय के प्रकाशन 'भारत में अकाल मृत्यु और आत्महत्या' (एडीएसआई) के अनुसार, बेरोजगारी के कारण वर्ष 2020 के दौरान दर्ज की गई आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30-06-2021 से बढ़ाकर 31-03-2022 कर दिया गया है। 21.03.2022 तक 1.38 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 54.52 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 11.03.2022 तक, 34.08 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा हों।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर सतत संकेन्द्रण के साथ रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****

<u>अनुबंध</u>

बेरोजगार व्यक्तियों के लिए योजनाएं के संबंध में राज्य सभा के दिनांक 31.03.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *314 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020 के दौरान बेरोजगारी के कारण दर्ज की गई आत्महत्याओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पंजीकृत मामले
आंध्र प्रदेश	88
अरुणाचल प्रदेश	0
असम	234
बिहार	12
छत्तीसगढ	23
गोवा	43
गुजरात	229
हरियाणा	27
हिमाचल प्रदेश	20
झारखंड	217
कर्नाटक	720
केरल	122
मध्य प्रदेश	65
महाराष्ट्र	625
मणिपुर	1
मेघालय	8
मिजोरम	2
नागालैंड	2
ओड़िशा	6
पंजाब	105
राजस्थान	118
सिक्किम	9
तमिलनाडु	336
तेलंगाना	23
त्रिपुरा	12
उत्तर प्रदेश	227
उत्तराखंड	17
पश्चिम बंगाल	42
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0
चंडीगढ़	11
दादरा एवं नगर हवेली दमन और दीव	4
दिल्ली	148
लक्षद्वीप	0
जम्मू और कश्मीर	46
लद्दाख	0
पुदुचेरी	6
योग	**3548**

स्रोत: भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो